

Title: Demand to probe the death of former Union Minister Shri P.R. Kumaramangalam and the functioning of the Indraprashta Appolo Hospital, New Delhi

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, गत 18 अगस्त को केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री पी.आर. कुमारमंगलम, जब वह अपनी जिन्दगी और मौत से जूझ रहे थे, उस समय मैंने उनकी ऐसी हालत के लिए इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल द्वारा गलत इलाज और अपराधपूर्ण लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया था।

â€(‹(ब्यवधान) प्रारम्भ में ही अगर श्री कुमारमंगलम की बीमारी का डायग्नोस हो जाता और उचित इलाज होता तो उन्हें शायद बचाया जा सकता था।â€(‹(ब्यवधान)

जब मैंने यह मामला उठाया तो मुझे दिल्ली व आसपास के अन्य प्रदेशों से सैकड़ों टेलीफोन आए।

â€(‹(ब्यवधान) जिसमें अपोलो अस्पताल के प्रबंधकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं गैर जिम्मेदारान रवैये के बारे में शिकायतें प्राप्त हुईं। â€(‹(ब्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुशाभाऊ ठाकरे का सार्वजनिक वक्तव्य भी कुछ दिन पूर्व आया था जिसमें उनके इलाज में भी लापरवाही की गई। पंजाब के मेडिकल रिसर्च मंत्री श्री मनोरंजन कालिया जी ने भी 20 अगस्त 2000 को प्रधान मंत्री को पत्र

*Not Recorded.

लिखा जिसमें अपोलो अस्पताल की ज्यादातियों का वर्णन किया। â€(‹(ब्यवधान) इस अस्पताल की इन कारगुजारियों को देखते हुए मैं इस अस्पताल की स्थापना के संबंध में जो तथ्य दे रहा हूँ वे काफी चौंकाने वाले हैं।â€(‹(ब्यवधान) इस अस्पताल को दिल्ली सरकार ने 15 एकड़ जमीन लगभग मुफ्त अर्थात् एक रुपये प्रति एकड़ की दर से दी, आज की तारीख में जिसका बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपये है। â€(‹(ब्यवधान) अस्पताल में जो भी मशीनरी विदेशों से आयात की गई उस पर से इम्पोर्ट ड्यूटी माफ की गई। दिल्ली सरकार के 26 प्रतिशत शेयर लेकर एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार बीस करोड़ रुपये शेयर कैपिटल के रूप में दिया गया। â€(‹(ब्यवधान) इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने 17 करोड़ रुपये बिल्डिंग फंड के रूप में दिया जो आज तक वापिस नहीं मिला। इस अस्पताल की कुल लागत 190 करोड़ रुपये में से 80 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय संस्थाओं ने दी। दिल्ली सरकार सहित केन्द्रीय सरकार की सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने 117 करोड़ रुपये व जमीन मुफ्त दी। â€(‹(ब्यवधान) इतनी धनराशि देने और एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य स्पष्ट था कि गरीब व मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के 33 प्रतिशत मुफ्त बिस्तर होंगे, इलाज होगा। â€(‹(ब्यवधान) अस्पताल की प्रबन्ध समिति का चेयरमैन दिल्ली का मुख्य सचिव ही होगा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव एवं वित्त सचिव इसकी प्रबन्ध समिति के निदेशक होंगे परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार से इतनी सुविधाएं व धनराशि मिलने के बाद जो एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए, उसे लागू नहीं किया जा रहा। â€(‹(ब्यवधान) जनता के एक व्यक्ति ने जब कोर्ट में पेटिशन डाली तो प्रबन्ध समिति द्वारा ही एक एफीडेविट देना चाहिए था परंतु प्रबन्ध समिति के चेयरमैन अर्थात् दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की बिना जानकारी के कोर्ट में ऐसा एफीडेविट दे दिया गया जो दिल्ली सरकार के खिलाफ जाता था।â€(‹(ब्यवधान)

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस उद्देश्य से इस अस्पताल की स्थापना की गई थी, उस उद्देश्य की पूर्ति में यह अस्पताल विफल रहा है।â€(‹(ब्यवधान) उद्देश्य था कि दिल्ली व आसपास के अन्य प्रदेशों के गरीब व मध्यम वर्ग के लोग यहां मुफ्त इलाज करा सकें, इसलिए दिल्ली सरकार ने जमीन एवं इतनी बड़ी धनराशि इस अस्पताल को उपलब्ध कराई परंतु अब अस्पताल एक निजी व्यावसायिक संस्थान के रूप में काम कर रहा है जिसका उद्देश्य किसी भी तरह से अधिक से अधिक धन बटोरना रह गया है। â€(‹(ब्यवधान) इसलिए 59 लोक सभा सदस्यों ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. सी.पी.ठाकुर को पत्र लिखकर मांग की है कि :

1. अस्पताल की कार्यप्रणाली और मरीजों के साथ हो रही अपराधपूर्ण लापरवाही व लूट की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
2. दिल्ली सरकार के साथ हुए एम.ओ.यू. समझौते को लागू कराया जाए।

3 अगर अपोलो अस्पताल समझौते को लागू न करे तो केन्द्रीय सरकार इसका अधिग्रहण कर ले।

â€(‹(ब्यवधान) मुझे विश्वास है कि सरकार श्री पी.आर.कुमारमंगलम की इन हालात में हुई मौत से सबक लेकर हमारी उक्त मांगों को स्वीकार करेगी।â€(‹(ब्यवधान)

MR. SPEAKER: Except Shri Mohan Rawale, nothing will go on record.

(Interruptions)*